का पेश किया कि इस वाद में प्रार्थीयां अपने भाईयों से हक मांग रही है जिसमें अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जो सह खातेदारों को बिना सुने ही सम्पूर्ण खसरों पर जारी कर दी गई है जोकि सह खातेदारों के हितों के विरुद्ध है।

पत्रावली के अवलोकन व मनन से स्पष्ट है कि अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा एकपक्षीय जारी की गई है जो कि तत्कालीन समय पर सही थी परन्तु चूंकि अब एक अन्य प्रकरण में सहखातेदारों ने विभाजन करवा लिया है जिनके भिन नम्बर भी अलग कायम किए जा चुके है अत: अब उन भिन खसरा नम्बरों में प्रार्थीगण का कोई हक हिस्सा नहीं बनता है।

अत: प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के हिस्सों पर अस्थाई निषेधाज्ञा वाद के निस्तारण तक जारी रहेगी परन्तु खसरा नं. 251 व 252 के विभाजन में अन्य सहखातेदारों के हिस्सों में आए खसरा नम्बरों पर अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रभावी की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 21/6/18 को कैम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र टोडी में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी